2022/67

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
17/22	212 RTA	सोनी	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
धर्मेन्द्र वगै.	बनाम	रामदयाल वगै.

वकील :- अरविंद प्रताप सिंह एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15/3/22	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम सोनी तहसील छबडा के खसरा नं. 72 रकबा 6.19 बीघा भूमि के रिकार्ड की आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगणो को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद ग्रस्त आराजी का दान, रहन व बेचान आदि न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणो को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.04.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/4/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 9/5/22 को पेश हो। पूर्वानुसार स्थगन आदेश यथावत रहेगा। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
9/5/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 22/6/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
22/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादीगणों के बाद तामील सम्मन प्राप्त। प्रति. गण की ओर से श्री ... फरीकैन का वकालतनामा पेश। जवाब पेश नहीं किया है समय चाहा है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 18/7/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
4/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थीयान द्वारा प्रकरण को NOT PRESS किया है। वकील प्रार्थी ने बताया कि पक्षकारों के आपस में राजीनामा हो गया है। इसलिए वाद पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। पक्षकारान के हस्ताक्षर कराये गये। प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	तुलसी Not Press रामदयाल